M.M.Kumar और गुरदेव सिंह के समक्ष, जे. जे.

पूरन चंद और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

1995 का सी. डब्ल्यू. पी. No.1046

7 जुलाई, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,16,226 और 309-हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह-सी) जिला संवर्ग सेवा नियम, 1994-परिशिष्ट 'बी'-पंजाब शिक्षा सेवा वर्ग-III (स्कूल संवर्ग) नियम, 1955-याचिकाकर्ताओं ने जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक के पीठों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन किया-परिशिष्ट 'बी' में यह प्रावधान है कि जे. बी. टी. शिक्षक की अनुपलब्धता के मामले में, बी. ए., बी. एड. या बी. एस. सी., बी. एड. जैसी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है-उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों पर विचार करने की चुनौती-2008 के सी. डब्ल्यू. पी. 451 में पूर्ण पीठ पर भरोसा करते हुए, 'मंजीत सिंह बनाम। पंजाब अधिस्थिति "-अन्यथा भी, चूंकि उम्मीदवारों के पास कट-ऑफ तिथि पर आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए उनके पास परिशिष्ट 'बी' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं था-क्या परिशिष्ट 'बी' संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और क्या याचिकाकर्ता को परिशिष्ट 'बी' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का अधिकार था।

माना जाता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होने की योग्यता नहीं है तो उसे चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे कोई प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती है।तदनुसार, उनका कोई अधिस्थिति नहीं होगा।जीत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1979 (1) एस. एल. आर. 604 में, यह प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए पड़ा।अन्यथा भी, मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 451, जो आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अब यह विचार लिया है कि कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण शिक्षकों के पीठ पर नियुक्ति के लिए बी. ए. बी. एस. सी. या बी. एड. की उच्च योग्यता कोई बाधा नहीं है (सी. एफ.सोम दत्त बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) एस. एल. आर. 141) के मामले में पूर्ण पीठ का निर्णय।

(पैरा 10)

कोई नहीं, याचिकाकर्ताओं के लिए।

आर. के. एस. बरार, एडिशनल, ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

एम. एम. कुमार जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में संक्षिप्त अनुरोध किया गया है कि हरियाणा प्राथमिक शिक्षा (समूह-सी) जिला संवर्ग सेवा नियम, 1994 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') के परिशिष्ट 'बी' में ध्यान दें (ii) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है क्योंकि यह बी. ए., बी. एससी. और बी. एड. जैसी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने की अनुमति देता है।1 (पी-3) दिनांकित विज्ञापन को रद्द करने के लिए एक परिणामी प्रार्थना भी की गई है, जो ध्यान दें (2) के अनुसार निर्धारित करता है कि यदि जे. बी. टी. शिक्षकों की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, तो बी. ए., बी. एड. या बी. एस. सी. की योग्यता रखने वालों से 1995 (ओ. एंड एम.) के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1046 पदों को भरा जा सकता है। बी. एड. उपरोक्त खंड निम्नानुसार हैः-

“2) XXX XXX XXX

टिप्पणी:- (i) XXX XXX

(ii) जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता के मामले में बी. ए. बी. एड. या बी. एस. सी. जैसी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार। जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए बी. एड. या उसके समकक्ष पर विचार किया जा सकता है, लेकिन चयन पर ऐसे व्यक्तियों को जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान के अलावा किसी भी उच्च वेतनमान या वेतनमान के लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जैसा कि सरकार समय-समय पर केवल उच्च योग्यता के आधार पर निर्धारित कर सकती है।यदि कोई बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षक बी. ए. बी. एड. या बी. एस. सी. सहित उच्च योग्यता प्राप्त करता है। बी. एड. या उसके समकक्ष चयन या सेवा में शामिल होने के बाद उसे केवल ऐसी योग्यता के अधिग्रहण के आधार पर किसी भी उच्च वेतनमान या वेतन की अनुमति नहीं दी जाएगी।पंजाब के समग्र राज्य के वित्त विभाग द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी पत्र संख्या 5056-F.R.-II 57/5600 का कोई प्रभाव नहीं होगा।”

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में डिप्लोमा इन एजुकेशन (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, जिसे जे. बी. टी. पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1995 में रिट याचिका दायर करने के समय, याचिकाकर्ताओं ने उक्त पाठ्यक्रम की भाग-1 परीक्षा उत्तीर्ण की और जे. बी. टी. पाठ्यक्रम के अपने अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे थे, जिसे मई 1995 के अंत तक पूरा किया जाना था।

(3) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पहले शिक्षा विभाग, हरियाणा में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा की शर्तें 'पंजाब शिक्षा सेवा वर्ग-III (स्कूल संवर्ग) नियम, 1955' के रूप में जाने जाने वाले नियमों द्वारा शासित होती थीं। उक्त नियमों के तहत, जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के लिए निर्धारित योग्यता निम्नानुसार थीः“(i) एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ मैट्रिक (पूर्ण)।

(ii) हरियाणा शिक्षा विभाग से शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो साल J.B.T./Diploma में उत्तीर्ण या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।” (4) याचिकाकर्ताओं ने आगे दावा किया है कि जे. बी. टी. पाठ्यक्रम के 1994 के सत्र के अंत तक, लगभग 1200 जे. बी. टी. प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध थे, जबकि जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के 3900 से अधिक पद खाली पड़े थे। याचिकाकर्ताओं ने आगे अनुमान लगाया कि उनका पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, लगभग 1700 और जे. बी. टी. प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध होने वाले थे।

(5) 16.9.1994 पर, हरियाणा राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत 'नियम' बनाए। 'नियमों' के नियम 7 में निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सीधी भर्ती के मामले में नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो और प्रत्यक्ष भर्ती के अलावा नियुक्ति के मामले में उक्त परिशिष्ट के कॉलम 4 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो। परिशिष्ट-बी की प्रासंगिक प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" एपेन्डिक्स-बी

कर्मांक	पद का पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो, के लिए सीधी भर्ती.	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो, के लिए सीधी भर्ती.
1	2	3	4
1.	जूनियर प्रशिक्षित।	(i) XXX XXX बेसिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मैट्रिक, हरियाणा या इसके समकक्ष के रूप में स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक, और ((ii) दो साल जूनियर उत्तीर्ण बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या शिक्षा प्रशिक्षण में डिप्लोमा हरियाणा से पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग या द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष हरियाणा सरकार। (iii) हिंदी का ज्ञान मैट्रिक मानक तक।	

नोट -

(i) उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के ऐसे पदों के लिए मध्य मानक तक उर्दू का ज्ञान है, जिन्हें उर्दू या उर्दू में पढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

(ii) जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता के मामले में बी. ए. या बी. एससी जैसी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार। जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए बी. एड. पर विचार किया जा सकता है, लेकिन चयन पर ऐसे व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं होगा।

कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान के अलावा किसी भी उच्च वेतनमान या वेतनमान के लाभ का दावा करें जैसा कि सरकार समय-समय पर केवल उच्च योग्यता के आधार पर तय कर सकती है।यदि किसी बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षक को बी. ए. या बी. एससी. सहित उच्च योग्यता की आवश्यकता होती है। बी. एड. चयन या सेवा में शामिल होने के बाद, उसे केवल ऐसी योग्यताओं के अधिग्रहण के आधार पर किसी भी उच्च वेतनमान या वेतन की अनुमति नहीं दी जाएगी।पंजाब राज्य के वित्त विभाग द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी पत्र संख्या 5056-एफ. आर.-II/57/5600 का कोई प्रभाव नहीं होगा।

नोट - हरियाणा शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी राज्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रमाणपत्र को तभी मान्यता दी जाएगी जब इन डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो।”

(6) 22.12.1994 पर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा ने 1200-2040 के वेतनमान में जे. बी. टी. शिक्षकों (स्कूल संवर्ग) के 5160 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया।आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6.1.1995 थी।जैसा कि निर्णय के प्रारंभिक पैरा में देखा गया है कि उक्त विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया है कि यदि जे. बी. टी. की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो उन पदों को बी. ए., बी. एड. या बी. एस. सी. की योग्यता रखने वालों से भरा जा सकता है। बी. एड. (पी-3)।

(7) उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने इस शिकायत के साथ तत्काल याचिका दायर की है कि परिशिष्ट-बी में ध्यान दें (ii) के आधार पर, जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद के खिलाफ, दो असमानों को बराबर करने का प्रयास किया गया है।हालाँकि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कट-ऑफ तिथि यानी 6.1.1995 पर, याचिकाकर्ताओं के पास हरियाणा शिक्षा विभाग से दो साल के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने की न्यूनतम विद्या सम्बन्धी योग्यता नहीं थी।

(8) प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ताओं के पास ध्यान दें (ii) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का अधिस्थिति नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक जे. बी. टी. पाठ्यआदेश की योग्यता प्राप्त नहीं की है ताकि वे पात्र बन सकें।

यह विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास कट-ऑफ तिथि यानी 6.1.1995 पर आवश्यक योग्यता की कमी थी, जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी।वे अभी भी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से गुजर रहे थे।इसलिए, वे दुखी नहीं हो सकते हैं और उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

(9) मामला कल यानी 6.7.2011 बुलाया गया था और हमने सुनवाई को आज के लिए टाल दिया।पुनः याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।हालाँकि, प्रतिवादी के लिए श्री आर. के. एस. बरार, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, पेश हुए हैं और हमने विद्वान राज्य के वकील को सुना है।

(10) यह अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होने की योग्यता नहीं है तो उसे चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे कोई प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती है।तदनुसार, उनका कोई अधिस्थिति नहीं होगा।जीत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (1) में, यह प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए पड़ा।निर्णय के पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन याचिकाकर्ताओं के पास याचिका दायर करने का अधिस्थिति नहीं था क्योंकि वे पदोन्नति के लिए योग्य नहीं थे और उन्हें चयनित उम्मीदवार से पहले पदोन्नति का कोई अधिस्थिति नहीं था और न ही वे अपने दावे में सफल हो सकते थे।आर. के. जैन बनाम भारत संघ (2) के मामले में भी इसी तरह के सिद्धांत प्रतिध्वनित हुए हैं।उस मामले में सी. जी. ए. टी. के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। शुरू में उन्हें 1982 में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और 1991 में उन्हें सी. जी. ए. टी. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में उन्हें सी. जी. ए. टी. का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि परंपरा के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सी. जी. ए. टी. के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और उपरोक्त परंपरा की पूरी तरह से अवहेलना की गई है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी तीसरे पक्ष को, जो उम्मीदवार भी नहीं था, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देने का कोई अधिस्थिति नहीं है।तदनुसार, हमारा विचार है कि रिट याचिका को उन लोगों द्वारा बनाए नहीं रखा जा सकता है जिन्होंने अभी तक जे. बी. टी. की योग्यता प्राप्त नहीं की है और आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं।

(1) 1979 (1) एसएलआर 604

(2) (1993) 4 एससीसी 119

इसलिए, इस संक्षिप्त आधार पर रिट याचिका खारिज की जा सकती है। अन्यथा भी, मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 451, जो <आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अब यह विचार लिया है कि कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण शिक्षकों के पीठ पर नियुक्ति के लिए बी. ए. बी. एस. सी. या बी. एड. की उच्च योग्यता कोई बाधा नहीं है (सी. एफ.सोम दत्त बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) एस. एल. आर. 141) के मामले में पूर्ण पीठ का निर्णय। यह उल्लेख करना भी उचित है कि दिनांक 28.2.2003 की अधिसूचना के माध्यम से, 'नियमों' में संशोधन किया गया है और परिशिष्ट 'बी' से ध्यान दें (ii) को हटा दिया गया है।

(11) ऊपर वर्णित सभी कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

पी. एस. बाजवा

के. कन्नन, जे.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़,-अपीलार्थी

बनाम

प्रार्थना सेठ और अन्य,के उत्तरदाताएफ.

ए. ओ. No.3086-2011

20 अप्रैल, 2011

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-S.166 और 149-बीमा कंपनी का बीमा पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव-ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता-सामान्य परीक्षण-क्या स्वयं बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी की शर्तों का कोई भंग या भंग हुआ है-मालिक (बीमित) सामग्री का बोनाफाइड्स-उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण होना चाहिए-इस विश्वास के प्रामाणिक होने के बारे में सबूत थे कि लाइसेंस वास्तविक था-बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी गई।

यह भी कहा गया कि ऐसे अवसर भी थे जब पुलिस द्वारा कई नाकाओं पर लाइसेंस की जांच की गई थी और इसलिए, निष्कर्ष यह था कि किसी को भी लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह नहीं था। जब हम किसी बीमाकर्ता को पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव करने की अनुमति देते हैं, तो हम आम तौर पर इसका परीक्षण इस बात के आलोक में करते हैं कि क्या स्वयं बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्तों का भंग किया गया था। यह मालिक की ईमानदारी है जो है

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur